POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2020/अंक 09

मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 सितम्बर, 2020 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! कोविड-19 की वजह से इस बार आजादी का जश्न मनाने में वह रोमांच, धूमधाम व उत्साह नहीं देखा जा सका, जैसा हर साल होता रहा है।

देश को आजाद हुए 73 साल पूरे हो गए। विचार जागा, देश में अपार जनशक्ति होते हुए हम आज भी क्यों अनेक सुविधाओं से वंचित हैं? 'किसी देश और समाज की आजादी का स्त्रोत उसका सामर्थ्य होता है, जबकि उसके वैभव एवं उन्नति का स्त्रोत उसकी श्रम शक्ति होती है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन देशवासियों की श्रमशक्ति को एक नई पहचान देगा। इसके पीछे उनका सबसे बड़ा मकसद देश को हर मोर्चे पर आत्म-निर्भर बनाना है। लगता है, कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने इस सच्चाई को जाना है और परखा भी है। देश का नागरिक चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियां रही हो, संघर्ष करना जानता है और कभी हार नहीं मानता।

देश के अन्नदाता को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही एक लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर) बनाया गया है। जाहिर है, आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान सरकार की अहम प्राथमिकता है। इसके अलावा उन्होंने 15 अगस्त से 'नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन' के शुभारंभ की घोषणा भी की है, जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

कोरोना काल को लेकर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि सरकार इस संकट से उबारने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटी है। अन्य कई राष्ट्रीय मुद्दों और सुविधाओं की बात करते हुए उन्होंने सभी देशवासियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ने का आह्वान किया है।

देशभर में लागू हुआ उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019

उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 देशभर में लागू हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में संशोधन के बाद यह कानून लाया गया है। नए कानून में उपभोक्ता को अधिक सशक्त बनाया गया है। ई-कॉमर्स कंपनियों और झूठे विज्ञापन को लेकर सख्ती बरती गई है।

उपभोक्ताओं को न केवल किसी भी शहर या जिले में शिकायत करने का अधिकार दिया गया है बल्कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। हालांकि इसके लिए जिला आयोग की अनुमति लेनी होगी। अब जिला आयोग एक करोड़ तक, राज्य आयोग एक से 10 करोड़ तक और राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामले सुन सकेगा। मामलों को मध्यस्थता के जरिए निपटाने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। कोई झूठी शिकायत करता है तो अब 10 हजार रुपए की जगह 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।

उपभोक्ता फोरम के फैसले की पालना नहीं करने पर अब दोषी को तीन साल की जेल या 25 हजार से एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ऑनलाइन व्यापार में उपभोक्ता हितों की अनदेखी कंपनियों को भारी पड़ सकती है। कोई भी व्यक्ति सामान खरीदने से पहले भी गुणवत्ता को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में शिकायत कर सकता है। प्राधिकरण को शिकायत की जांच करने और आर्थिक दंड लगाने का अधिकार है। जिला आयोग के निर्णय के खिलाफ राज्य आयोग में अपील पहले 30 दिन में होती थी जिसे अब 45 दिन कर दिया गया है।

राज्य व राष्ट्रीय आयोग ने माना कागज बैग के पैसे वसूलना गलत

जयपुर निवासी महेश पारीक ने 16 अप्रैल 2016 को 399 रुपए में सोडाला स्थित बाटा कंपनी के शोरूम से बाटा के जूते खरीदे थे। बाटा कंपनी की ओर से कीमत में कागज के बैग के दो रुपए अतिरिक्त जोड़कर उनसे पैसे वसूले गए। जबकि बैग पर विज्ञापन के मकसद से बाटा कंपनी का नाम और लोगो छपा था। उन्होंने कंपनी द्वारा बैग के पैसे वसूलने को गलत ठहराते हुए अपने अधिवक्ता के जरिए जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच (क्रम-4) में बाटा इंडिया लि. कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था।

उपभोक्ता मंच ने माना कि कंपनी ने शुद्ध रूप से अपने विज्ञापन के लिए परिवादी को यह बैग दिया और बदले में उसकी कीमत भी वसूली। मंच ने बाटा कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी को 10 हजार रुपए बतौर हर्जाना एवं परिवाद खर्च के रूप में अदा करे। हर्जाना राशि दो माह में अदा नहीं करने पर इस पर नौ फीसदी की दर से ब्याज भी दिया जाए।

बाटा कंपनी ने मंच के फैसले के खिलाफ राज्य आयोग और बाद में राष्ट्रीय आयोग में भी अपील दर्ज कराई। राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग ने अपील को खारिज कर दिया और उपभोक्ता मंच के फैसले को सही ठहराते हुए बाटा कंपनी को उसकी पालना करने के आदेश दिए हैं।

कोई प्रवासी श्रमिक नहीं सोएगा भूखा

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश में रोजगार के लिए पलायन करने वाले श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वे पैतृक गांव या शहर को छोड़ जहां भी रोजगार के लिए जाएंगे, इस योजना के तहत वहीं से उन्हें मासिक राशन उपलब्ध हो जाएगा।

योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81 करोड़ लाभान्वितों को देशभर में कहीं से भी राशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इससे किसी भी श्रमिक को नौकरी छूटने या कोरोना जैसी महामारी में भूखा सोने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। यह योजना 20 राज्यों में लागू हो चुकी है। बाकी राज्यों में त्वरित स्तर पर लागू करने की तैयारी है।

कृषि क्षेत्र के लिए वित्तपोषण सुविधा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपए की वित्तपोषण सुविधा की शुरुआत कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। ये कोष कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप्स, कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकी कंपनियों और कटाई बाद फसल प्रबंधन में किसान समूहों की मदद के लिए बनाया गया है।

इस फंड से गांव में किसान समूहों, समितियों व एफपीओ को वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए तथा फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए एक लाख करोड़ रुपए की मदद का प्रावधान है। इस फंड से किसानों को अन्य कई फायदे भी मिलेंगे।

खेती-किसानी का डिजिटलीकरण

कोरोना काल के दौरान खाद की बिक्री ने नया रिकार्ड कायम किया है। लेकिन इस क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी के चलते कई गोरखधंधे सामने आए हैं। मद्देनजर केंद्र सरकार अब खेती-किसानी क्षेत्र का भी पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने जा रही है।

शुरुआत उर्वरकों की खरीद-बिक्री से की जा रही है। अब उर्वरकों की खरीद-बिक्री का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन हो सकेगा, जिससे कालाबाजारी पर रोक लगेगी। किसान भुगतान करते वक्त क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकेगा। इससे किसानों से अधिकतम खुदरा मूल्य से एक पैसा भी ज्यादा नहीं लिया जा सकेगा। खरीद पर सरकारी अनुदान राशि भी पारदर्शी तरीके से किसान के खाते में पहुंचेगी।

जमीन खरीदकर स्कूल को दी दान

अलवर जिले की उमरैण पंचायत समिति के गांव काली खोल में कच्ची झोपड़ी में रहने वाले किसान ओम प्रकाश गुर्जर ने जमीन खरीदकर सरकारी स्कूल को दान दे दी। जिसमें शानदार ट्रेन वाला स्कूल बन गया है। इस स्कूल में पहले तीन कमरे थे।

बच्चे खुले में बैठकर पढ़ाई करते थे। स्कूल में 260 बच्चों का नामांकन है। वह चाहते हैं कि गांव के बच्चे 8वीं पास करके आगे भी पढ़ाई जारी रखें। दान की इस जमीन में सर्व शिक्षा अभियान से 21 लाख रुपए निर्माण कार्यों की स्वीकृति हुई है। यहां बच्चों ने कभी ट्रेन नहीं देखी थी, इसलिए 5 कमरे बना कर स्कूल को ट्रेन का रूप दिया गया है। स्कूल में चारदीवारी और शौचालय भी बन गया है।

खा रहे गरीबों के हक का पैसा

कोरोना महामारी में सरकार द्वारा असहाय परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 2500 रुपए और खाद्य सामग्री को सम्पन्न परिवारों द्वारा उठाए जाने का मामला सामने आया है। मामला जयपुर जिले की आमेर तहसील के पूनाना ग्राम पंचायत का है।

जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत में जिन 57 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई उनमें से लाभ लेने योग्य मात्र 10 लोग ही हैं। बाकी 47 लोग सम्पन्न परिवारों से हैं, जिनके पास पक्के मकान और चौपहिया वाहन हैं। यह लोग आर्थिक सहायता व खाद्य सामग्री लेने के पात्र नहीं थे। यह एक ग्राम पंचायत का उदाहरण नहीं है, बड़े स्तर पर जांच हो तो प्रदेश में ऐसे अनगिनत मामले सामने आ सकते हैं।

रंग लाई जैविक खेती की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहरीले खाद और कीटनाशक वाली खेती छोड़ने के लिए की गई अपील रंग लाने लगी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक अब तक देश में 19 लाख से भी ज्यादा किसान जैविक खेती से जुड़ चुके हैं। सरकार अब जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसके लिए परम्परागत कृषि विकास योजना बनाई गई है।

इस योजना के तहत प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र सरकार तीन साल के लिए प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपए की सहायता दे रही है। कृषि मंत्री तोमर के मुताबिक देश में ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन बढ़ रहा है और किसान स्वेच्छा से परम्परागत खेती से जुड़ रहे हैं।

अब मध्यम वर्ग को भी मिलेगा मुफ्त इलाज

केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल करने का फैसला किया है। योजना के लागू होते ही मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इलाज के लिए सालाना पांच लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल जाएगा।

इसके लिए सरकार अपनी सभी स्वास्थ्य योजनाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एकीकृत करेगी। इस योजना को देशभर में लागू करने वाली संस्था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) की गवर्निंग काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। अभी इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा।

रोजगार के साथ मिलेगा प्रशिक्षण

लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों से सबक लेकर राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए 'राज कौशल पोर्टल' से जुड़ी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पोर्टल पर प्रदेश में अब तक 52 लाख लोगों का विवरण दर्ज किया जा चुका है।

इनमें करीब 24 लाख बेसिक मजदूर, 1.60 लाख प्रवासी मजदूर, 1.50 लाख आईटीआई फिल्ड, 4 लाख स्किल सेंटरों से कोर्स पूरा करने वाले युवा और 20 लाख से अधिक बेरोजगार युवा शामिल हैं, जिन्हे रोजगार की तलाश है। इस पोर्टल के जरिए बेरोजगार लोगों को रोजगार के साथ-साथ प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

कर्मचारी खा गए गरीबों का राशन

गरीब परिवारों को दो रुपए किलों गेहूं (कोरोना काल में नि:शुल्क) देने के लिए सरकार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़कर लाभ दे रही है। सरकार के निर्देश पर दौसा उपखण्ड अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा सूची की जांच कराई तो सामने आया कि करीब तीन हजार से अधिक लोग सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी कई माह से गरीबों की खाद्य सामग्री (गेहूं) लेते सामने आए।

अब जिन कर्मचारियों के नाम मिले हैं, उनसे 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली की जानी है। किस कर्मचारी ने कितने माह कितना गेहूं उठाया उसे उतनी राशि चुकानी पड़ेगी। उनसे करीब एक करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली होनी है।

मास्क पहनें – ज़िंदगियां बचाएं

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए

- बार-बार हाथ धोएं, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी या एल्कोहल वाला हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें,
- अन्य व्यक्ति से दो मीटर की दूरी बनाए रखें,
- मास्क लगाएं, आंखे नाक या मुंह को न छूएं,
- खांसने या छींकते समय नाक और मुंह को टिश्यू पेपर, रुमाल या कोहनी से ढक लें,
- यदि आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, तो घर पर रहें,
- अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाएं।

सेल्फ बिलिंग

कोविड लॉकडाउन के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को काफी असुविधाएं उठानी पड़ी। विद्युत वितरण कंपनियों ने भी लॉकडाउन से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण डिस्कॉम द्वारा बिल के विलम्ब भुगतान पर सरचार्ज को माफ किया जाना था, जिसके बारे में हमने अपने पिछले अंकों में लिखा था।

लॉकडाउन के महीनों के दौरान डिस्कॉम ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बिजली मीटर रीडिंग को बंद करवा दिया था और उपभोक्ताओं को औसत के हिसाब से बिल जारी किए। राजस्थान में डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को पार्ट बिलिंग की सुविधा भी प्रदान की जिससे उन्हें बिजली बिल पेमेंट में सहूलियत मिले। काफी उपभोक्ताओं ने इस दौरान बिलों में अनियमितताओं के बारे में भी शिकायत की और कहा कि अप्रैल और मई माह में उनके मीटर न पढ़े जाने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है।

ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए 'सेल्फ बिलिंग' की सुविधा काफी कारगर हो सकती है। सेल्फ बिलिंग में उपभोक्ता खुद मासिक रीडिंग पढ़ कर डिस्कॉम को सूचित कर सकता है। जिसके बाद बिल जारी कर दिया जाता है। विभिन्न राज्य जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली ने उपभोक्ताओं को सेल्फ बिलिंग की सुविधा प्रदान की है। मुंबई में, उपभोक्ता खुद के द्वारा पढ़े गए बिल की रीडिंग को डिस्कॉम वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन फॉर्म पर जमा कर सकते हैं।

दिल्ली में डिस्कॉम ने सेल्फ बिलिंग को बढ़ावा देने के लिए छूट और अन्य लाभों की भी शुरुआत की है। सेल्फ बिलिंग के बाकी लाभों के अलावा यह उपभोक्ता और डिस्कॉम के बीच जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है। राजस्थान में सभी नागरिक संगठन साथ आकर राज्य विनियामक आयोग से 'सेल्फ बिलिंग' सुविधा को नियमित किए जाने की मांग कर सकते हैं, जिससे बिलिंग और मीटरिंग की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कदम' जयपुर